

हरिद्वार विकास प्राधिकरण,

हरिद्वार

की

24वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 22.08.1997

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 24वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22-8-97 की उपस्थिति

क्र०सं०	नाम	विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री एन०एन०उपाध्याय	आयुक्त/अध्यक्ष	
2-	श्री जे०पी०शर्मा	उपाध्यक्ष, ए०वि०प्र०	
3-	राजेश प्रताप सिंह	जिलाधिकारी, हरिद्वार	
4-	रम पी अनेजा	नगर स्वच्छता नियोजक	अप
5-	राज उमाच केसरी	निर्माण अधिकारी	अ
6-	स्नेह लता शर्मा	अध्यक्ष नगर परिषद श्रीधर	अश
7-	उत्तम सिंह शर्मा	अध्यक्ष, न० उंचाफन, हरिद्वार	अ
8-	श्री एन० लक्ष्मी	अधीक्षक अभियंता, न० वि० वि० नगर	अ
9-	ए. के. गुप्ता	अधीक्षक अभियंता, जल निगम, मेरठ	अ
10-	राजकुमार श्रीवास्तव	नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार	अ
11-	रम. पी. श्रीवास्तव	SDM हरिद्वार व/र NPP शरीर	अ
12-			
13-			
14-			
15-			
16-			
17-			

शेषक,

सचिव,  
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

सेवामें,

- 1- सचिव, आवास उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 3- सचिव, उत्तराखण्ड विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 4- जिला मैजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
- 5- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, 7वें चन्द्रिका बाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (उ०प्र० लखनऊ)।
- 8- अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार।
- 9- अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश।
- 10- अध्यक्ष, नगरपंचायत, रानीपुर हरिद्वार।
- 11- अध्यक्ष, नगरपंचायत, सुनि की रेती, ऋषिकेश।

संख्या- 1388/प्रशा०-2/गई-1-6/97

दिनांक 14 अगस्त, 1997

विषय- हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार की 24वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22-8-97 का एजेण्डा प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-1320/प्रशा०-2/गई-1-6/97 दिनांक 2-8-97 का प्रेषण तन्दर्भ लेने का कष्ट करें।  
हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 24वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22-8-97 को पूर्वान्ह 11-00 बजे आयुक्त, तहारनपुर मण्डल, सहारनपुर की अध्यक्षता में हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के कार्यालय कक्ष में सम्पन्न होगी। बैठक का एजेण्डा आपके अकाउन्टार्थ लंगन है। शायते प्रसूचित है कि प्रेषण ठीक समय पर बैठक में भाग लेने की कृपा करें।  
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

सचिव  
हरिद्वार विकास प्राधिकरण

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की २४ वीं बोर्ड बैठक दिनांक २२-८-६७ की

- १ बैठक का स्थान कार्यालय हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार ।  
२ बैठक का समय ११.०० बजे

**उपस्थिति:-**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| १ श्री नागेश्वर नाथ उपाध्याय, आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर  | अध्यक्ष         |
| २ श्री जे०पी०शर्मा, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार   | उपाध्यक्ष       |
| ३ श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी हरिद्वार   | सदस्य           |
| ४ श्री एम०पी० अनेजा, वरिष्ठ नियोजक (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि)  | विशेष आमन्त्रित |
| ५ श्री राजकुमार अरोडा, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार   | सदस्य           |
| ६ स्नेहलता शर्मा, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश  | सदस्य           |
| ७ श्री उत्तम सिंह राणा, अध्यक्ष, नगर पंचायत मुनि की रेती  | सदस्य           |
| ८ श्री एम०पी०श्रीवास्तव, प्रशासक नगर पंचायत बी०एच०ई०एल, हरिद्वार  | सदस्य           |
| ९ श्री जी०एस०कहेला, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर<br>(प्रमुख अभिलोक निर्माण विभाग के नामित प्रतिनिधि) | विशेष आमन्त्रित |
| १० श्री ए०के०गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, मेरठ<br>(प्रबन्ध निदेशक जल निगम उ०प्र० के नामित प्रतिनिधि )           | विशेष आमन्त्रित |

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 24वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22-8-97 का स्पेण्डा सूची-  
विषय

<u>क्र.सं०</u>	<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
1-	विगत बैठक दिनांक 2-8-96 में लिए गये निर्णयों का क्रियान्वयन-	1
2-	प्रस्तावित क्वार्ट, 1997-98	2
3-	ग्राम हरिपुरवाली, देहरादून के खतरा नम्बर, 781, 784, 340 तथा गाँव संख्या-785 का भूउपयोग	3
4-	हरिद्वार भ्रमण महायोजना की विस्तारितियों के तन्मन्थ हैं-	4 से 5
5-	सरकारी विभागों पर आरोपित शुल्क को क्लियर से जमा करने के काल्पनिक प्रयोजन में छूट	6
6-	गाँव के आधार पर विभिन्न श्रेणी के आवासीय/व्यावसायिक भवनों के निर्माण के तन्मन्थ हैं-	7
7-	प्राधिकरण में पद लूण के तन्मन्थ हैं-	8
8-	शान्त रघुवीरसिंह जी महाराज निर्मित तन्तपुरा क्लब के मानचित्र 149/97 को स्वीकृति विषयक-	9
9-	शान्त उपविधि संशोधित अधिसूचना संख्या-242/93आ-97-6डीर/31 दिनांक 10-1-97 को जंगल विषयक-	10
10-	विगत शुल्क/फीस के पुनःनिर्धारण विषयक	11 से 14
11-	सैमानिकृत तदतीरदार संघ प्राधिकरण अधिकाता जो अनुमति प्राप्त पृष्ठ पर विचार-	15
12-	ऋषिकेश क्षेत्र में विवादित खतरा नम्बर 74, 84, 276, 279 संव 298 में मानचित्र स्वीकृति विषयक	16
13-	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति है-	

सूद संख्या-1  
चिन्त-1

विगत पैठक की कार्यवाही की सुविधा तथा निरूपण के क्रियान्वयन

प्राधिकरण की विगत पैठक दिनांक 2-3-96 को सम्पन्न हुई थी। पैठक की कार्यवाही प्राधिकरण के सभी माननीय सदस्यों अधिकारियों को प्रेषित की गयी। जितनी भी सदस्य/अधिकारियों की ओर से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। विगत पैठक में निर्णय उपरान्त समाप्त किए गये मदों पर निर्णय के अनुसार अनुपालन किया जा रहा है। कार्यवाही अपेक्षित मदों में क्रियान्वयन को स्थिति इतक प्रकार है-

क्र.सं.	विषय	निर्णय	अनुपालन
1-	श्रीमती सुनि की रेली क्षेत्र की महायोजना तैयार करने विषयक	विगत पैठक में यह निर्णय लिया गया था मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक महायोजना का प्राश्य एक माह में तैयार करके अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।	निर्णय के अनुसार कार्यवाही की गयी। महायोजना के प्राश्य का अनुमोदन सरल्लेखान विधि से कराया गया। महायोजना पर आपत्ति/सुझाव हेतु तृयना समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी गयी। आपत्ति/सुझावों हेतु दिनांक 15-5-97 से 30-6-97 तक नियत की गयी। महायोजना प्राश्य को नियमानुसार जनसाधारण के अवलोकनार्थ प्रदर्शित किया गया। जून 70 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनका निस्तारण किया जा रहा है।
2-	हरिद्वार महायोजना की विस्तारितियों के सम्बन्ध में विवरण	नईवर्ती उड्डडी, शान्तिपुर के निकट वल्ल टैगान एवं चिकित कालौनी हरिद्वार के मार्गों को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को सन्दर्भित किए जाने के आदेश दिए गये।	चिस्तृत विवरण मद संख्या-4 में अंकित किया गया है।

①

c1:\agenda1.wk4

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की २४ वीं बोर्ड बैठक दिनांक २२-८-९७ का कार्यवृत्त

दिनांक २२-८-९७ को हरिद्वार विकास प्राधिकरण की २४ वीं बैठक अध्यक्ष/आयुक्त, सहारनपुर मण्डल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही।  
सामान्य

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि सहारनपुर मण्डल के गठन के बाद विकास प्राधिकरण की यह प्रथम बैठक है। हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा निर्वतमान अध्यक्ष/आयुक्त मेरठ श्री एच०एल०बिरदी की सेवाओं की सराहना की गयी, तथा अधिसूचना सं०-२३२०/९-आवास-५-९७-२३ (१)/डीए/८५ दि० २७ जून, १९९७ द्वारा गठित नवसृजित बोर्ड के अध्यक्ष/आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, श्री नागेश्वर नाथ उपाध्याय का स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि २७ जून, १९९७ की उपरोक्त अधिसूचना के क्रम में यथा आवश्यक पासन एवं विभागों से अनुरोध किया जाये कि विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठकों में भाग लेने के लिए वह अपने प्रतिनिधि शीघ्र नामित कर दें। भविष्य में इस प्रकार नामित प्रतिनिधियों को भी बैठक की सूचना तथा एजेण्डा इत्यादि भेजा जाये। प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा प्रमुख अभियन्ता, लो०नि० वि० की ओर से बैठक में क्रमशः श्री ए०के०गुप्ता अधीक्षण अभियन्ता, श्री एम०पी०अनेजा, वरिष्ठ नियोजक एवं जी०एस०कहेला अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विशेष आमन्त्री के रूप में बैठक में भाग लिया गया।

बैठक की विधिवत कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ की गयी। इसका विवरण मदवार निम्नवत है :-

**मद संख्या -(१) विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि तथा अनुपालन :-**

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की पिछली बैठक दि० २-८-९६ को आयोजित की गयी थी, इस पर कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः बैठक दि० २-८-९६ की कार्यवाही की पुष्टि की गयी। विकास प्राधिकरण के समक्ष दि० २-८-९६ की बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन सचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया अनुपालन पर सन्तोष व्यक्त किया गया। ऋषिकेश/मुनि की रेली क्षेत्र की महायोजना के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि दि० ३०-६-९७ तक महायोजना पर ७० आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुये हैं।

प्राधिकरण द्वारा महायोजना प्रारूप पर प्राप्त सभी आपत्तियों एवं सुझावों पर सुनवाई हेतु निम्न समिति गठित करने का निर्णय लिया गया :-

  
सचिव

  
V.C.

सद संख्या-2

:2:

विषय-

वर्ष 1997-98 का प्रस्तावित बजट

वर्ष 1996-97 के बजट में खर्चा 1085-30 लाख था तथा व्यय खर्चा 1033-90 अनुमोदित था। वर्ष 96-97 की वास्तविक प्राप्तियाँ 329.57 लाख की रही। आय में कमी का कारण हड़को से खर्चा 600 लाख अंश प्रस्तावित किया गया था, अंश स्वीकृत न होने के कारण इस वर्ष की प्राप्ति कम रही है। व्यय खर्च में 388.27 लाख के वास्तविक व्यय किए गये। हड़को से अंश राशि प्राप्त न होने के कारण व्ययों में भी कमी रही है।

वर्ष 97-98 हेतु राजस्व आय मद में खर्चा 344.95 लाख, पूँजीगत आय में खर्चा 922.03 लाख कुल आय वीज खर्चा 1266.98 लाख प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित बजट में राजस्व व्यय मद में खर्चा 268.40 लाख एवं पूँजीगत व्यय में खर्चा 850.25 लाख कुल व्यय खर्चा 1098.65 लाख प्रस्तावित है।

वर्ष 97-98 का प्रस्तावित बजट संव 96-97 में किए गये व्ययों की स्वीकृति हेतु प्राथमिकता के तहत प्रस्तुत है। विस्तृत विवरण परिशिष्टों के रूप में संलग्न है।

- |  |         |
|--|---------|
| १. सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण-   | अध्यक्ष |
| २. जिलाधिकारी देहरादून, टिहरी तथा पौडी द्वारा नामित एक-एक प्रतिनिधि जो कि अपर जिलाधिकारी स्तर से कम न हों- | सदस्य   |
| ३. अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद ऋषिकेश-  | सदस्य   |
| ४. अध्यक्ष, नगर पंचायत मुनिकीरेती,   | सदस्य   |
| ५. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा नामित प्रतिनिधि-  | सदस्य   |
- यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त समिति आपत्तियों की दि० ३०-६-६७ तक सुनवाई कर अपनी संस्तुति आख्या आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करेगी ।

**मद संख्या-(२) वर्ष १९६७-६८ का प्रस्तावित बजट :-**

१९६७-६८ के बजट का प्रस्ताव सचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

- (अ)-विकास प्राधिकरण की बैठक की तिथि तक किये गये व्ययों का अनुमोदन प्रदान किया गया ।
- (ब)-स्टाम्प ड्यूटी के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न स्तरों पर इसका अनुश्रवण किया जाये ।
- (स)-बजट प्रस्तावों को री-कॉस्ट किया जाये तथा शीघ्र ही हरिद्वार विकास प्राधिकरण की एक बैठक बजट को अनुमोदित कराने के लिए आहूत की जाये ।

**मद सं०-(३) ग्राम हरिपुर कलौ जिला देहरादून के खसरा नं० ७८१, ७८४, ३४० नया गाटा सं०-७८५ (क) का पार्क एवं स्कूल के रूप में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।**

विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि ऋषिकेश-मुनि की रेती क्षेत्र की महायोजना पर जिस प्रकार आपत्तियों एवं सुझाव माँगे गये है उसी प्रकार इस विषय पर भी शीघ्र आपत्तियों/सुझाव आमन्त्रित करा लिये जायें तथा ऋषिकेश-मुनि की रेती क्षेत्र की महायोजना से सम्बन्धित आपत्तियों की सुनवाई के साथ ही इस प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा इन आपत्तियों/सुझावों की भी सुनवाई करके अपनी रिपोर्ट विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाये ।

**मद संख्या -(४) हरिद्वार महायोजना भाग-अ की विसंगतियों के सम्बन्ध में ।**

नई बस्ती खड़खड़ी, शान्तिकुंज के निकट बस अड्डा तथा विकास कालोनी हरिद्वार की विसंगतियों के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र सं०-५३८७/व०नि०-२/ दिनांक १७-१२-६६ द्वारा

*सचिव*  
 सचिव V.C.

मद संख्या- 5

33

विषय-

ग्राम हरिपुर कलों जिला देहरादून के खतरा नम्बर 781,784,340 नया गाटा संख्या-785कई का पार्क एवं स्कूल के रूप में मूउपयोग परिवर्तन के तम्बन्ध में।

स्वामी उमा भारती पब्लिक स्कूल के पत्र दिनांक 10-10-96 द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि मेरी 32 बीघा कच्चा भूमि जो कि जिला देहरादून क्षेत्र के अन्तर्गत है, को हरिद्वार महायोजना भाग-अ, जो शासन द्वारा स्वीकृत की गयी है, में पार्क एवं कुला क्षेत्र दर्शाया गया है। स्वामी आनन्दमूर्ति उमा भारती के उक्त पत्र के क्रम में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या-4877 दिनांक 22-10-96 द्वारा यह नुपुति किया गया है कि यह स्थल नगरपालिका हरिद्वार की सीमा से बाहर है तथा अधिकांश क्षेत्र की महायोजना जो तैयार की जा रही है का भाग है, जिसको वृत्तिका हरिद्वार महायोजना भाग-अ में दर्शाया गया है। उक्त स्थल को अधिकांश महायोजना में पार्क एवं स्कूल के रूप में मू-उपयोग के अन्तर्गत किए जाने की संस्तुति की गयी है।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के उक्त तन्दर्भित पत्र के क्रम में उक्त भूखण्ड को हरिद्वार महायोजना भाग-अ से निकाल कर अधिकांश क्षेत्र की महायोजना भाग-ब में पार्क एवं स्कूल के रूप में मू-उपयोग के अन्तर्गत तमायोजित कर लिया जाय। प्रकरण विचारार्थ एवं अनुमोदनायं प्रस्तुत है।

मद संख्या-4

विषय- हरिद्वार महायोजना भाग-अ की विसंगतियों के सम्बन्ध में-

हरिद्वार महायोजना में विसंगतियों के कारण जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर सूखी नदी, हिलवार्ड पास, सूखी नदी खडखडी, नई बस्ती के क्षेत्र, हरिद्वार अधिकेश मार्ग पर बस अड्डा का क्षेत्र, डिग्री कालेज के निकट विकास कालौनी के क्षेत्र को आवासीय में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया था। प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 2-0-96 में रखा गया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, को सन्दर्भित कर दिया जाय, जो इस कार्यालय के पत्र संख्या-2302 दिनांक 12-9-96 द्वारा प्रेषित किया गया। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के पत्र संख्या-5387 दिनांक 17-12-96 द्वारा प्रकरण पर निम्न प्रकार मत व्यक्त किए गये-

1- नई बस्ती खडखडी- स्थल का अधिकांश भाग पुरानी आबादी है तथा इसकी गलियाँ पक्की हैं। अंश भाग में तीवर, बिजली, पानी आदि की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। केवल सूखी नदी के पास कुछ क्षेत्र ऐसा है जिनमें नये निर्माण हुए हैं। अतः बस्ती के उक्त क्षेत्र को आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित किया जाना उचित होगा।

2- ज्ञानिकुंज के निकट बस अड्डा- हरिद्वार अधिकेश मार्ग पर ज्ञानिकुंज के निकट पाँच हैक्टेयर भूमि बस अड्डे हेतु प्रस्तावित है, परन्तु इस भूमि के अंश भाग पर अमृतगंगा स्पोर्ट्स मैट समूह आवासीय योजना प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत है। जिसमें भवन निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त स्थल के अंश भाग में गोकुलधाम/पुरम गंगा विहार नाम से जो विन्वास मानचित्र सन् 1991 में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसमें सड़क विकास, नाली आदि के कार्य किए जा चुके हैं। प्रस्तावित स्थल में ते वीछे की ओर कुछ भू-भाग रिक्त है, जिसका उपयोग कदाचित बस अड्डा हेतु नहीं किया जा सकता है। अतः अधिक उपयुक्त होगा कि बस स्टैण्ड हेतु उपयुक्त स्थल का चयन कर भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही पर विचार किया जाय।

3- विकास कालौनी हरिद्वार- हरिद्वार ज्वालापुर मार्ग पर विकास कालौनी विकसित हुई है, जिसके छोटे से भाग को सामुदायिक क्षेत्र को गोविन्दपुरी डिग्री कालेज के स्थ में महायोजना में दर्शाया गया है। प्रश्नगत स्थल डिग्री कालेज के बाहर है। डिग्री कालेज की भूमि स्थल के पास लगभग 5 फुट नीचे है। डिग्री कालेज तथा स्थल के बीच विकास कालौनी की सड़क बनी हुई है जितने स्थल डिग्री कालेज से पूर्णतया अलग हो जाता है। अतः प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग आवासीय में परिवर्तित किया जाना उचित होगा।

प्राप्त मत पर प्राधिकरण द्वारा सहमति व्यक्त की गयी तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रकरण को शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय ।

मद संख्या -(५) सरकारी विभागों पर आरोपित शुल्क को विलम्ब से जमा करने के फलस्वरूप देय ब्याज में छूट सम्बन्धी प्रस्ताव

इस प्रकरण पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि देय ब्याज में छूट प्राप्त कर ली जाय तत्पश्चात इस प्रकरण को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

मद संख्या-(६) हरिद्वार विकास प्राधिकरण को मॉग के आधार पर विभिन्न श्रेणी के आवासीय एवं व्यावसायिक भवन निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रकरण पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की बैठक दि० २-८-६६ में आवास नीति के अन्तर्गत भवन निर्माण न किये जाने के निर्णय में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है परन्तु यदि किसी योजना विशेष में डिमाण्ड सर्वे के आधार पर भवन निर्माण की आवश्यकता होती है तो प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यकतानुसार भवनों का निर्माण कराया जा सकता है ।

मद संख्या-(७) प्राधिकरण में पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दि० ११-१-६३ में जिन पदों के सृजन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था उनके सापेक्ष शासन द्वारा निम्न तालिका के अनुसार पदों का सृजन किया गया है :-

प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पद	शासन द्वारा सृजित पद	पद सृजन हेतु अपेक्षित
१.आशुलिपिक- २ पद	२	--
२.सहायक लेखाकार -१ पद	--	१
३.उद्यान निरीक्षक- १ पद	१	--
४.कनिष्ठ लिपिक- ६ पद	--	६ पद
५.वाहन चालक- १ पद	१	--
६.चतुर्थ श्रेणी- ६ पद	--	६ पद

सचिव V.C.

:5:

चूँकि मुख्य नगर संप्रदाय नियोजन विभाग द्वारा उक्त सभी आरक्षित भूमियों को आवासीय में परिवर्तित करने की संतुष्टि की गयी है।  
अतः यह प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

सद संख्या-

क्रमा-

सरकारी विभागों पर आरोपित शुल्क को क्लिम्ब से जमा करने के फलस्वरूप देय ब्याज में छूट सम्बन्धी पुस्तिका-

विकास क्षेत्र के अन्तर्गत टी०एच०डी०सी० संव जल निगम विभाग द्वारा बिना प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के अवैध निर्माण किए गये जिनके विरुद्ध उ०पु० नगर योजना विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। विभागों की सहमति पर निम्न प्रकार शान्त शुल्क आरोपित किया गया-

<u>क्र०सं०</u>	<u>विभाग का नाम</u>	<u>आरोपित शुल्क</u>
1-	उ०पु० जल निगम टिहरी गढ़वाल	43,507-00
2-	टी०एच०डी०सी० अधिकांश	2,61,000-00

उ०पु० जल निगम द्वारा आरोपित शुल्क जमा करा दिया गया परन्तु 3 वर्ष, 7 माह 23 दिन का देय ब्याज रूपरा 25,796-00 जमा कराना शेष है तथा टी०एच०डी०सी० द्वारा रूपरा 1,61,000/- जमा कराया जा चुका है तथा शेष रूपरा 1,00,000-00 जमा कराना शेष है। साथ ही लगभग 5 माह का देय ब्याज भी जमा कराना भी शेष है।

दोनों विभागों द्वारा देय ब्याज में छूट प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। अतः प्रकरण प्राधिकरण के लक्ष्य विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या- 6

विषय-

हरिद्वार विकास प्राधिकरण को मॉग के आधार पर विभिन्न ग्रेपी के आवासीय एवं व्यावसायिक भवन निर्मित कराये जाने के तत्त्वचोन

हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा हरिद्वार नगर में मात्र तीन आवासीय कालोनियों विकसित की हैं। जिनमें अधिकांशतः भूखण्डों को विकसित किया गया है। प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक में नई आवास नीति के अन्तर्गत आवास न बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसके अनुसार बोर्ड भवन निर्माण नहीं किया गया है। हरिद्वार नगर एक धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नगर है। यहाँ पर विभिन्न प्रान्तों के लोग निवस करने की इच्छा रखते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से इन लोगों के लिए भूखण्ड पर भवन बनाना कठिन होता है। वर्तमान में प्राधिकरण के पास बोर्ड भवन रिक्त नहीं है। कुछ भवन मॉग के अनुसार कम बने हैं वही दूसरी ओर भूखण्ड की मॉग न होने के कारण भूखण्ड रिक्त पड़े हैं। इस प्रकार प्राधिकरण को अनिस्तारित सम्यक्ति भूखण्डों के रूप में है। यदि प्राधिकरण इन भूखण्डों पर भवनों की मॉग के अनुसार भवन निर्माण करता तो आवांठियों को उनकी मॉग के अनुसार भवन उपलब्ध करा सकता है, जिससे प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति भी सुधरेगी।

अतः प्रकरण प्राधिकरण के लाभ विचारार्थ प्रस्तुत है।

शब्द संख्या-7

विषय- प्राधिकरणों में पदों के तृण के सम्बन्ध में-

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 11-1-95 में निम्नलिखित पदों का अनुमोदन किया गया था। पद तृण हेतु प्रस्ताव वास्तव में प्रेषित किया गया। पद तृण की स्थिति इस प्रकार है-

<u>प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पद</u>	<u>कातम द्वारा कुलित पद</u>	<u>पद तृण हेतु उपेक्षा</u>
1- आयुक्तियुक्त - 2 पद	2 पद	-
2- सहायक लेखाकार-1 पद	-	1 पद
3- उद्धान निरीक्षक- 1 पद	1 पद	-
4- कनिष्ठ लिपिक- 6 पद	-	6 पद
5- वाहन चालक- 1 पद	1 पद	-
6- चतुर्थ श्रेणी - 6 पद	-	6 पद

उपरोक्तानुसार पद तृण हेतु उपेक्षित पदों के अतिरिक्त निम्नलिखित पदों के तृण का प्रस्ताव

अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है-

1- उद्धान सुपर वाइजर	एक पद
2- माली	चार पद
3- क्षेत्रदार	दस पद

प्राधिकरण प्राधिकरण के समक्ष इस आशय के साथ प्रस्तुत है कि उक्त पदों का तृण किया जाना आवश्यक है। प्राधिकरण के अनुमोदन के उपरान्त प्रस्ताव वास्तव में प्रेषित किए जाने हेतु विचारार्थ रस अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण के समक्ष उपरोक्त पदों के अतिरिक्त उद्यान के क्षेत्र में बढ़ती हुई गतिविधियों के कारण निम्न पदों के सृजन का प्रस्ताव रखा गया-

- |                      |       |
|----------------------|-------|
| १. उद्यान सुपर वाइजर | १ पद  |
| २. माली              | ४ पद  |
| ३. बेलदार            | १० पद |

विचारोपरान्त विकास प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन पदों की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है उनके लिए शासन को पत्र भेजा जाये । उद्यान क्षेत्र की गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुये जो पद प्रस्तावित किये गये है उनके लिए विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा अपेक्षा की गयी कि इन पदों के सृजन हेतु शासन को लिखा जाय ।

मद संख्या-(८) संत रघुवीरसिंह जी महाराज गुरुद्वारा निर्मल सन्तपुरा ट्रस्ट कनखल द्वारा मानचित्र संख्या १४६/६७ के सम्बन्ध में विचार ।

निर्णय लिया गया कि इस विषय पर हरिद्वार विकास प्राधिकरण की अगली बैठक में विचार किया जायेगा । अतः इसे यथा समय पुनः विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

मद संख्या-(९) शमन उपविधि संशोधित अधिसूचना सं०-२४२/६-आ-१-६७-६/डीए/८१ दि० १०-१-६७ को अंगीकार किये जाने विषयक ।

विचारोपरान्त संशोधित शमन-उपविधि को प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किया गया तथा शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में इसे लागू करने का निर्णय लिया गया ।

मद संख्या-(१०) विकास शुल्क/फीस के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में पुर्नविचार ।

द्विचारोपरान्त हरिद्वार विकास क्षेत्र भाग-अ में दिनांक १-६-६७ से जमा होने वाले मानचित्रों द्वापर निम्नलिखित संशोधित दरों तथा प्रक्रिया के आधार पर विकास फीस जमा कराने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया :-

आवासीय क्षेत्र में:-

यूज जोन-


बी-१, बी-२

आर-१, आर-२ (जहाँ मानचित्रों की स्वीकृति अर्द्धविकसित क्षेत्र

दरें

रु० ३०.०० प्रति वर्ग मी०

रु० ६०.०० प्रति वर्ग मी०

  
सचिव V.C.

मद संख्या-8,

विषय-

संत रघुवीरसिंह जी महाराज गुरुद्वारा निर्मल तन्तपुरा ट्रस्ट कनका द्वारा मानचित्र संख्या-149/97 के सम्बन्ध में विचार-

संत रघुवीरसिंह जी महाराज गुरुद्वारा निर्मल तन्तपुरा ट्रस्ट कनका द्वारा मौहल्ला कनका में 2272.09 वर्ग मीटर भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु भवन मानचित्र संख्या-म0यो3११-149/97 प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 2-7-97 को प्रस्तुत किया गया है। स्थल पर भूतल पर बना भवन महायोजना लागू होने से पूर्व का है। अपेक्षक द्वारा प्रयोज्य भवन के प्रथम तल पर आवासीय निर्माण हेतु अनुमति पायी गयी है। हरिद्वार महायोजना के अनुसार स्थल का भू-उपयोग आंशिक रूप से आवासीय तथा शेष पार्क एवं ड्रेन में है। पूर्व में उक्त स्थल पर प्राधिकरण द्वारा दिनांक 3-11-95 को मानचित्र संख्या-67/95 त्वीकृत किया गया था, जिसमें भूतल पर पूर्व निर्मित भवन के ऊपर चंड भाग जिसका भू-उपयोग आवासीय है, में आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा पूर्व निर्मित भवन के ऊपर चंड भाग जिसका भू-उपयोग पार्क एवं ड्रेन में निर्माण की अनुमति नहीं दी गयी थी। अपेक्षक द्वारा पुनः मानचित्र संख्या-149/97 के माध्यम से पूर्व निर्मित भवन महायोजना लागू होने से पूर्व के प्रथम तल के उक्त भाग पर जिसका भू-उपयोग "पार्क एवं ड्रेन" क्षेत्र है, आवासीय भवन निर्माण की अनुमति पायी गयी है। उक्त निर्माण से भूतल पर कोई अतिरिक्त आच्छादन नहीं होगा। भूतल पर महायोजना लागू होने से पूर्व का भवन निर्मित होने से, ऊपर प्रथम तल पर पार्क का अधिकांश/निर्माण व्यावहारिक न होगा। मानचित्र महायोजना लागू होने से पूर्व भूतल पर निर्मित भवन में कोई अतिरिक्त आच्छादन भी प्रस्तावित नहीं है तथा भवन का उपयोग भी नहीं बदला जा रहा है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

:10:

मद संख्या- 9

विषय-

शामन उपविधि संशोधित अधिसूचना संख्या-242/9-आ-1-97-6/डीए/81 दिनांक 10-1-97 को अंगीकार किए जाने विषयक।

आवास अनुभाग-1, संशोधित अधिसूचना संख्या-242/9-आ-97-6 डीए/81 दिनांक 10-1-97 के द्वारा अपराधों के शामन उपविधि की संशोधित उपविधि इस निर्देश के साथ प्राप्त हुई है कि वर्ष, 1996 के साथ संलग्न सूची तथा टिप्पणी के स्थान पर इस अधिसूचना के साथ संलग्न सूची तथा टिप्पणी पढ़ी जायेगी। हरिद्वार विकास प्राधिकरण में शामन उपविधि, 1996 लागू है।

उपरोक्त के तमस्त विकास प्राधिकरणों में शामन उपविधि की एक क्लोन रखने हेतु आवश्यक है कि शासन द्वारा प्राप्त शामन उपविधि, 1997 को यथाप्राप्त अंगीकार कर लिया जाय तथा शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाय। अतः प्रस्ताव प्राधिकरण के लक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। शामन उपविधि की छाया प्रति परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।

विषय- विकास शुल्क/फीस के पुनःनिर्धारण करने के सम्बन्ध में विचार-

3090 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी भी स्थल पर मूलभूत सुविधाओं अथवा अस्तथापनाओं के निर्माण हेतु विकास फीस लिए जाने का प्राविधान किया गया है। यह फीस मानचित्र स्वीकृति के समय ली जाती है, जो कि वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित दरों के आधार पर ली जा रही है।

1- विकसित क्षेत्र	स्वया, 20/- प्रति वर्ग मीटर।
2- विकसित क्षेत्र में व्यावसायिक पर	स्वया, 30/- प्रति वर्ग मीटर।
3- अर्ध विकसित क्षेत्र में-	स्वया, 40/- प्रति वर्ग मीटर।
4- अर्ध विकसित क्षेत्र में व्यावसायिक पर	स्वया, 50/- प्रति वर्ग मीटर।

विकास फीस का आगमन प्रस्तावित भूखण्ड क्षेत्रफल के आधार पर ली जाती है। अस्तथापनाओं पर पड़ने वाले भार का सम्बन्ध भूखण्ड क्षेत्रफल के साथ-साथ आच्छादित क्षेत्रफल से भी होता है। आच्छादित क्षेत्रफल के बढ़ने से यह बढ़ता है तथा निम्नलिखित परिस्थितियों में भूखण्ड क्षेत्रफल के आधार पर विकास शुल्क लिए जाने पर प्राधिकरण को हानि होती है।

- 1- सामान्यतः आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में सम्पूर्ण तल क्षेत्र अनुपात 1:1 का उपयोग करने पर हस्त तलों का कुछ आच्छादित क्षेत्रफल में भूखण्ड क्षेत्रफल से अधिक हो जाता है। अतः भूखण्ड क्षेत्रफल पर विकास फीस लेने से प्राधिकरण को हानि होती है।
  - 2- प्राधिकरण के गठन से पूर्व निर्मित व्यक्तों में अतिरिक्त आच्छादन के प्रस्ताव पर जोई भी विकास फीस न लिए जाने से प्राधिकरण को हानि उठानी पड़ती है क्योंकि इन्हीं अस्तथापनाओं पर भार पड़ता है। प्राधिकरण में विकास शुल्क की उपर्युक्त दरें वर्ष, 1995 से लागू हैं।
- विकास शुल्क की बढ़ती हुई दरों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में निम्नानुसार विकास फीस का पुनर्निर्धारण प्रस्तावित है-

आवासीय क्षेत्र में-

यूज जोन-

बी-1, बी-2

आर-1, आर-2 (सर्वे मानचित्रों की स्वीकृति अर्धविकसित क्षेत्र मानने हुए की जा रही है।)

दरें

स्वया, 30/- प्रति वर्ग मीटर  
स्वया, 60/- प्रति वर्ग मीटर।

उपर्युक्त क्षेत्रों में यदि जोनिंग रेगुलेशन के अनुस्यू व्यावसायिक ,औद्योगिक ,कार्यालय,स्कूल की अनुमति दी जाती है,तो व्यावसायिक हेतु उपर्युक्त दरें दुगुनी,औद्योगिक एवं कार्यालय हेतु डेढ गुनी,स्कूल हेतु 0.50 गुनी होगी।

व्यावसायिक क्षेत्र-

यूज जोन

सी-1, सी-2, सी-3

दरें

स्वया, 120/-प्रति वर्ग मीटर।

उपर्युक्त क्षेत्रों में यदि जोनिंग रेगुलेशन के अनुस्यू आवासीय,औद्योगिक ,कार्यालय,स्कूल की अनुमति दी जाती है तो उपर्युक्त दरें आवासीय हेतु 0.50गुनी ,औद्योगिक /कार्यालय हेतु 0.75 गुनी ,स्कूल हेतु 0.25 गुनी होंगी।

औद्योगिक क्षेत्र हेतु

यूज जोन

एसड-1, एस-2, एसड-3

दरें

स्वया, 90/-प्रति वर्ग मीटर।

उपर्युक्त क्षेत्रों में यदि जोनिंग रेगुलेशन आवासीय,व्यावसायिक ,शैक्षिक भवन के निर्माण की अनुमति दी जाती है तो उपर्युक्त दर आवासीय हेतु 0.67 गुनी ,व्यावसायिक हेतु 1.33 गुनी,शैक्षिक भवन हेतु 0.33 गुनी होगी।

राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय कार्यालय-

यूज जोन

जी-

दरें

स्वया 60/-प्रति वर्ग मीटर।

उपर्युक्त क्षेत्र में यदि जोनिंग रेगुलेशन के अन्तार व्यावसायिक ,औद्योगिक ,शैक्षिक भवनों के निर्माण की अनुमति दी जाती है तो उपर्युक्त दर व्यावसायिक हेतु दो गुनी ,शैक्षिक हेतु 0.50गुनी होगी।

ताम्रदायिक सुविधा क्षेत्र

यूज जोन

एफ-

दरें

स्वया 30/-प्रति वर्ग मीटर।

उपर्युक्त क्षेत्र में यदि जोनिंग रेगुलेशन के अनुस्यू आवासीय,व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी जाती है तो आवासीय भवनों हेतु उपर्युक्त दरें दो गुनी तथा व्यावसायिक हेतु चार गुनी होगी।

मानते हुए दी जा रही है)

उपरोक्त क्षेत्रों में यदि जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुरूप व्यावसायिक, औद्योगिक, कार्यालय, स्कूल को अनुमति दी जाती है, तो व्यावसायिक हेतु उपरोक्त दरें दुगुनी, औद्योगिक एवं कार्यालय हेतु डेढ गुनी, स्कूल हेतु ०.५० गुनी होगी ।

व्यावसायिक क्षेत्र:-

यूज जोन

सी-१, सी-२, सी-३

दरें

रु० १२०.०० प्रति वर्ग मी०

उपरोक्त क्षेत्रों में यदि जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुरूप आवासीय, औद्योगिक/कार्यालय, स्कूल की अनुमति दी जाती है तो उपरोक्त दरें आवासीय हेतु ०.५० गुनी, औद्योगिक/कार्यालय हेतु ०.७५ गुनी तथा स्कूल हेतु ०.२५ गुनी होगी ।

औद्योगिक क्षेत्र हेतु:-

यूज जोन

एम०-१, एम-२, एम०-३

दरें

रु० ६०.०० प्रति वर्ग मी०

उपरोक्त क्षेत्रों में यदि जोनिंग रेगुलेशन्स आवासीय, व्यावसायिक, शैक्षिक भवन के निर्माण की अनुमति दी जाती है तो उपरोक्त दरें आवासीय हेतु ०.६७ गुनी, व्यावसायिक हेतु १.३३ गुनी, शैक्षिक भवन हेतु ०.३३ गुनी होगी ।

राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय कार्यालय:-

यूज जोन

जी-

दरें

रु० ६०.०० प्रति वर्ग मी०

उपरोक्त क्षेत्र में यदि जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार व्यावसायिक, आवासीय, शैक्षिक भवनों के निर्माण की अनुमति दी जाती है तो उपरोक्त दर व्यावसायिक हेतु १.३३ गुनी, आवासीय हेतु ०.६७ गुनी तथा शैक्षिक हेतु ०.३३ गुनी होगी ।

सामुदायिक सुविधा क्षेत्र

यूज जोन

एफ-

दरें

रु० ३०.०० प्रति वर्ग मी०

उपरोक्त क्षेत्र में यदि जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुरूप आवासीय, व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी जाती है तो आवासीय भवनों हेतु उपरोक्त दरें दो गुनी तथा व्यावसायिक हेतु ४ गुनी होगी ।

बस अड्डा, ट्रान्सफोट नगर एवं ट्रक अड्डा


यूज जोन

टी-१, टी-२

दरें

रु० ६०.०० प्रति वर्ग मी०

उपरोक्त क्षेत्र में जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुरूप यदि व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी

  
सचिव

७९  
N. C.

यस अड्डा, ट्रांसफोट नगर संघ टुक अड्डा-

यूज जोन

टी-1, टी-2

दरें

रुपया 60/-प्रति वर्ग मीटर।

उपर्युक्त क्षेत्र में जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार यदि व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी जाती है तो उपर्युक्त दर दो गुनी होगी।

पार्क संघ के स्थान-

यूज जोन

पी-1, पी-2, पी-3, पी-4, पी-5, पी-6

दरें

रुपया 60/-प्रति वर्ग मीटर।

उपर्युक्त क्षेत्र में यदि जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार व्यावसायिक अथवा औद्योगिक उपयोग की अनुमति दी जाती है, तो

उपर्युक्त दरें क्रमशः दो गुनी एवं डेढ़ गुनी होंगी।

विकास फीस आगणन-

- 1- ऐसे भवन मानचित्र जहाँ भूखण्ड पर कोई निर्माण नहीं है "विकास फीस" का आगणन भूखण्ड क्षेत्रफल अथवा तमस्त तलों पर कुल आच्छादित क्षेत्रफल, जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जायेगा।
- 2- ऐसे भवन मानचित्र जहाँ भवन प्राधिकरण के गठन के पूर्व का निर्मित है, में विकास फीस का आगणन तमस्त तलों पर प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा। ऐसे प्रकरणों में आवेदक को भवन के पुराने होने के तत्पश्चात् प्राधिकरण की तन्तुजिस्ट हेतु पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
- 3- यदि किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व स्वीकृति / नवीनीकरण अधि के अन्तर्गत स्थल पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया जाता है तथा पुनः स्वीकृति हेतु नवीन मानचित्र प्रस्तुत किया जाता है तो विकास फीस की गणना निम्नवत् होगी-

3११॥ यदि पुनः प्रस्तुत मानचित्र तथा पूर्व स्वीकृत मानचित्र में कोई परिवर्तन नहीं है  
॥आन्तरिक अनुमत्य परिवर्तनों तथा वर्तमान प्रचलित उपविधि के प्राविधानों  
को छोड़कर॥

कोई विकास फीस नहीं, केवल मानचित्र अनुज्ञा फीस  
देय होगी।

3१२॥ यदि पूर्व स्वीकृत मानचित्र तथा पुनः प्रस्तुत मानचित्र में परिवर्तन है-

विकास फीस की गणना क्रम संख्या-1 के अनुसार  
की जायेगी परन्तु पूर्व में विकास शुल्क तनायोजित  
किया जायेगा।

4- यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसूच्य निर्मित भवन में नियमानुसार परिवर्तन /परिवर्द्धन/अतिरिक्त निर्माण की अनुमति  
हेतु मानचित्र प्रस्तुत किया जाता है, तो फीस की गणना केवल प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर की जायेगी।

5- ऐसे क्षेत्र जहाँ विकास की कोई भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, विकास फीस की गणना वास्तविक विकास व्यय के आधार पर की जायेगी।

6- ऐसी कालौनियों जिनके तलपट मानचित्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत हैं तथा कालोनाइजर द्वारा नियमानुसार "पूर्णाता प्रमाण पत्र" प्राप्त कर  
लिया गया है, के अन्तर्गत मानचित्र प्रस्तुत करने पर कोई भी विकास फीस देय नहीं होगी।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाना है कि विभिन्न यूज जॉन में उपर्युक्त विकास फीस की दरों के प्राविधान का तात्पर्य यह नहीं  
होगा कि उक्त जॉन में ऐसे अधिकतम क्षेत्र जहाँ तलपट मानचित्र स्वीकृत की आवश्यकता है वहाँ उपर्युक्त दरों के आधार पर विकास फीस लेकर  
मानचित्र स्वीकृत किया जाये। अधिकतम क्षेत्रों हेतु 30प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति से पूर्व  
नियमानुसार स्थल का तलपट मानचित्र स्वीकृत कराया जाना आवश्यक होगा। अतः केवल हरिद्वार क्षेत्र हेतु प्रस्तावित हैं। अधिकतम क्षेत्र हेतु  
महायोजना स्वीकृत होने के पश्चात दरों का पुनः निर्धारण किया जायेगा।

उपर्युक्त दरें दिनांक 1-9-97 से जमा होने वाले मानचित्रों पर लागू की जानी प्रस्तावित हैं। अतः प्रस्ताव प्राधिकरण के  
समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

जाती है तो उपर्युक्त दर दो गुनी होगी ।

पार्क एवं खुले स्थान-

यूज जोन

पी-१, पी-२, पी-३, पी-४, पी-५, पी-६

दरें

₹० ६० प्रति वर्ग मी०

उपरोक्त क्षेत्र में यदि जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार व्यावसायिक अथवा औद्योगिक उपयोग की अनुमति दी जाती है, तो उपर्युक्त दरें क्रमशः दो गुनी एवं डेढ गुनी होगी ।

विकास फीस आगणन-

१. ऐसे भवन मानचित्र जहाँ भूखण्ड पर कोई निर्माण नहीं है "विकास फीस" का आगणन भूखण्ड क्षेत्रफल अथवा समस्त तलों पर कुल आच्छादित क्षेत्रफल, जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जायेगा ।
२. ऐसे भवन मानचित्र जहाँ भवन प्राधिकरण के गठन के पूर्व का निर्मित है, में विकास फीस का आगणन समस्त तलों पर प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा । ऐसे प्रकरणों में आवेदक को भवन के पुराने होने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की संतुष्टि हेतु पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे ।
३. यदि किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व स्वीकृति/नवीनीकरण अवधि के अन्तर्गत स्थल पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया जाता है तथा पुनः स्वीकृति हेतु नवीन मानचित्र प्रस्तुत किया जाता है तो विकास फीस की गणना निम्नवत् होगी:-
  - ३(१) यदि पुनः प्रस्तुत मानचित्र तथा पूर्व स्वीकृत मानचित्र में कोई परिवर्तन नहीं है। कोई विकास फीस नहीं, केवल मानचित्र अनुज्ञा फीस देय होगी ।  
(आन्तरिक अनुमन्य परिवर्तनों तथा वर्तमान प्रचलित उपविधि के प्राविधानों को छोड़कर)
  - ३(२) यदि पूर्व स्वीकृत मानचित्र तथा पुनः प्रस्तुत मानचित्र में परिवर्तन है। विकास फीस की गणना क्रम संख्या-१ के अनुसार की जायेगी परन्तु पूर्व में जमा विकास शुल्क समायोजित किया जायेगा ।
४. यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्मित भवन में नियमानुसार परिवर्तन/परिवर्धन/अतिरिक्त निर्माण की अनुमति हेतु मानचित्र प्रस्तुत किया जाता है, तो फीस की गणना केवल प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर की जायेगी ।
५. ऐसे क्षेत्र जहाँ विकास की कोई भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, विकास फीस की गणना वास्तविक विकास व्यय के आधार पर की जायेगी ।
६. ऐसी कालौनियों जिनके तलपट मानचित्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत हैं तथा कालौनाइजर द्वारा नियमानुसार "पूर्णता प्रमाण पत्र" प्राप्त कर लिया गया है, के अन्तर्गत मानचित्र प्रस्तुत करने

*L. S. S.*  
सचिव

*V. C.*

मद संख्या- ११

विषय-

सेवानिवृत्त तहसीलदार एवं प्राधिकरण अधिवक्ता को अनुबन्ध वेतन पर रख जाने विषयक।

भूमि अधिग्रहण तथा भूस्वामित्व विषयक कार्यवाही सम्पादित कराने एवं विभिन्न न्यायालयों में वाद दायर करने एवं वादों की पेशी आदि हेतु इम्प्टा:सेवानिवृत्त तहसीलदार एवं प्राधिकरण अधिवक्ता को अनुबन्ध वेतन पर रखे जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक २९-५-९५ के मत संख्या-१२१९४ में पारित हुआ था। वर्तमान में एक सेवानिवृत्त तहसीलदार स्पष्टा ३०००/-मासिक अनुबन्ध वेतन पर तथा प्राधिकरण अधिवक्ता को स्पष्टा ३०००/-मासिक अनुबन्ध वेतन पर रखा गया है।

वर्तमान में महंगाई में वृद्धि को देखते हुए इनके द्वारा अपने-अपने अनुबन्ध वेतन को स्पष्टा इम्प्टा: ५०००/-मासिक वेतन किस जाने का अनुरोध किया गया है। अतः प्रस्ताव है कि इनकी न्यायोचित भाँगे को स्वीकार करते हुए सेवानिवृत्त तहसीलदार को स्पष्टा ५०००/-मासिक तथा प्राधिकरण अधिवक्ता को स्पष्टा ५०००/-मासिक अनुबन्ध वेतन पर रखे जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं अनुसोदनार्थ प्रस्तुत है।

7

पर कोई भी विकास फीस देय नहीं होगी।

विभिन्न यूज जोन में उपर्युक्त विकास फीस की दरों के प्राविधान का तात्पर्य यह नहीं होगा कि उस जोन में ऐसे अविकसित क्षेत्र जहाँ तलपट मानचित्र स्वीकृति की आवश्यकता है वहाँ उपर्युक्त दरों के आधार पर विकास फीस लेकर मानचित्र स्वीकृत किया जाये। अविकसित क्षेत्रों हेतु उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति से पूर्व नियमानुसार स्थल का तलपट मानचित्र स्वीकृत कराया जाना आवश्यक होगा।

मद संख्या-(११) सेवानिवृत्त तहसीलदार एवं प्राधिकरण अधिवक्ता को अनुबन्ध वेतन वृद्धि पर विचार।

प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण तहसीलदार एवं प्राधिकरण अधिवक्ता के मासिक अनुबन्ध वेतन को रूपये ३०००/- से बढ़ाकर रूपये ४५००/- किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मद संख्या-(१२) हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के विकास क्षेत्र ऋषिकेश में विवादास्पद खसरा नं० ७४, ८४, २७६, २७६ एवं २६८ पर मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में पुनर्विचार।

यह प्रस्ताव परिभ्रमण के माध्यम से पारित हो चुका है। विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक में इसका अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या-(१३) अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद हरिद्वार द्वारा प्राधिकरण के समक्ष एक पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्न विषयों का उल्लेख है:-

- १- विकास शुल्क से प्राप्त धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में विचार।
- २- ग्राम अहमदपुर कडच्छ की खसरा नं०-१६३७ की २६४३१ वर्ग मी० भूमि के बकाया का प्राधिकरण द्वारा नगरपालिका को भुगतान।
- ३- ग्राम अहमदपुर कडच्छ की खसरा नं०-१६३७ की १७८७.६३ वर्ग मी० भूमि के प्राधिकरण को विक्रय की शासन स्तर पर लम्बित स्वीकृति।

अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश तथा अध्यक्ष, नगर पंचायत, मुनि की रेती द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विकास शुल्क से कराये जाने वाले विकास कार्यों, पथ-प्रकाश व्यवस्था, पार्को का सौन्दर्यीकरण व बरसाती नालों की टूट-फूट व मरम्मत के विषय भी बोर्ड बैठक में विचारार्थ रखे जायें।

  
सचिव

११  
V.C.



मद संख्या-12

विषय-

हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार के विकास क्षेत्र अधिक्षेत्र में विवादास्पद खतरा नम्बर-74,84,276,279 एवं 298 पर मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में पुनर्विचार।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 22वां बोर्ड बैठक दिनांक 2-3-96 में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि माननीय न्यायालय के अन्तिम आदेशों तक तन्दीर्भित खतरा नम्बरों में बोर्ड भी मानचित्र स्वीकृत न किए जायें तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जिलाधिकारी देहरादून से भी सम्पर्क बनाये रखते हुए अद्यतन स्थिति की जानकारी रखी जाय। उक्त खतरा नम्बरों के कुछ भाग पर जमींदारी विनाश कानून अधिनियम की धारा 229 की एवं 209 के तहत विभिन्न न्यायालयों में स्वत्व सम्बन्धी मामले विचाराधीन हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार-

<u>क्र०सं०</u>	<u>खतरा नम्बर</u>	<u>कुल क्षेत्रफल</u>	<u>विवादित क्षेत्रफल</u>
1-	74	450.82 एकड़	63.44 एकड़
2-	84	1.84 एकड़	1.84 एकड़
3-	276	322.02 एकड़	57.90 एकड़
4-	279	254.58 एकड़	193.00 एकड़
5-	298	57.96 एकड़	20.00 एकड़

विवादित भूमि पर विभिन्न मामलों में श्रीवात्सराज सिंह पिन्ट, जिला शासकीय अधिकारी देहरादून नामित है। इनके द्वारा उक्त विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार के भवन मानचित्र स्वीकृत न किए जाने की राय दी थी। वर्तमान में स्थानीय नागरिकों में भी काफी असन्तोष व्याप्त है कि विवादित भूमि को छोड़कर सोध भूमि पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति का कार्य किया जाय। इस सम्बन्ध में मा० श्री भातवरसिंह ढण्डारी, पर्यतीय विकास राज्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश द्वारा भी मानचित्र स्वीकृत किए जाने की कार्यवाही के निर्देश दिए गये हैं।


उपर्युक्त परिस्थितियों में विवाद रहित भूमि पर मानचित्र स्वीकृति का कार्य नियमानुसार भवन उपधिधियों में दिए गये प्राविधानों के अनुसार किए जाने हेतु प्रस्तुत किए गये मानचित्रों पर उपजिलाधिकारी देहरादून की अनामत प्राप्त पर आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन सरल्लेखान विधि से अनुमोदित कराया गया है। जिसकी प्राप्ति के तमाम अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये :-

१. आगामी बैठक में प्राधिकरण के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जानी चाहिए ।
२. अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार, ऋषिकेश तथा अध्यक्ष, नगर पंचायत मुनि की रेती द्वारा जो विशिष्ट विषय इंगित किये गये है, उनका परीक्षण करा लिया जाये तथा जो प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष रखे जाने हैं उन्हें विधिवत एजेण्डा पर लिया जाये ।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत  
सचिव 3/11/20

  
( नागेश्वर नाथ उपाध्याय )  
आयुक्त/अध्यक्ष

परिशिष्ट-१५४  
C:\MSOFFICE\AGEDA897.DOC

## हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

### प्रस्तावित बजट वर्ष 1997-98

वित्तीय वर्ष 1997-98 हेतु प्रस्तावित बजट तैयार किया गया है जिसमें किटे गये आय व्यय के विवरण का विवरण निम्न अनुसार है ।

#### राजस्व आय .

##### स्टाम्प ड्यूटी

स्टाम्प ड्यूटी की मद में विगत वर्ष 1996-97 में ₹0 20.00 लाख का प्राविधान किया गया था विशेष प्रयासों व वाबजूद भी प्राप्ति 4.49 लाख ही हो पायी । अतः वर्ष 97-98 की आय मद में 25.00 लाख का प्राविधान किया गया है । पूर्व वर्ष 15.00 लाख व अगले विलो से प्राप्त होने वाली धनराशि 10.00 लाख का अनुमान है।

##### ब्याज प्राप्ति

प्राधिकरण की जमा धनराशि जो अल्पकालीन सावधि जमा व बचत खातों में जमा रहती है, से प्राप्त ब्याज से वर्ष 96-97 में 32.65 लाख की आय थी उसी के अनुरूप वर्ष 97-98 के बजट में ₹0 35.00 का प्राप्ति का अनुमान है ।

##### मानचित्र आवेदन शुल्क

पूर्व वर्ष में प्राप्ति 1.46 लाख थी । उन्ही को दृष्टिगत रखते हुये 97-98 में इस मद से ₹0 1.75 लाख की प्राप्ति का अनुमान है ।

##### शामन शुल्क

वर्ष 96-97 में प्रमुख सचिव के निर्देशानुसार इस मद को पुनरीक्षित करके ₹0 100.00 लाख की प्राप्ति प्रस्तावित की गयी थी जिसके विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति ₹0 49.07 की हुई । विगत प्राप्ति शेष लगभग ₹0 50.00 लाख व वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु ₹0 25.00 लाख की प्राप्ति का अनुमान किया गया है । अतः वर्ष 97-98 के प्रस्तावित बजट में ₹0 75.00 लाख की आय प्रस्तावित की गयी है ।

### पुस्तक विक्री

प्राधिकरण द्वारा पिछले अर्द्धकुम्भ मेला 1992 के अवसर पर प्रकाशित पुस्तक गंगाद्वारे महातीर्थ पुस्तक विक्री की मद में ₹0 1.00 लाख की आय प्रस्तावित की गई है।

### विकास हेतु अनुदान

कुम्भ मेला -98 में प्राधिकरण द्वारा कराये जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्य हेतु 155.20 लाख का प्राविधान किया गया है, जिसमें निम्न कार्य प्रस्तावित हैं, अखाडों हेतु टीनटेंटेज एवं स्क्रॉर निर्माण, सुलभ पौचालय निर्माण एवं हाई लीमरिम पिस्तम का कार्य है।

### विविध प्राप्ति

वित्तीय वर्ष 96-97 में लाईसेंस शुल्क, टेंडर शुल्क, सम्पत्ति ट्रांसफर/फीहोल्ड/लॉन्गटर्म अरिड की मद में ₹0 1.00 लाख का प्राविधान किया गया था। शासन की फीहोल्ड की नति निर्धारण होने के कारण प्रस्तावित आय मद को विगत वर्ष प्राप्ति 2.87 लाख के विरुद्ध 12.00 लाख की प्राप्ति प्रस्तावित की गई है। इस आय में लॉन्गटर्म /फीहोल्ड की 10.00 लाख की आय सम्मिलित है।

### विकास शुल्क

विगत वर्ष 96-97 के 35.00 लाख के प्राविधान के विरुद्ध 39.34 लाख की वार्षिक प्राप्ति को मददेनजर रखते हुये प्रस्तावित 97-98 के बजट में ₹0 40.00 लाख की आय प्रस्तावित की गई है।

### पूजीगत आय

#### ऋषिलांक योजना

भवन किरतों की प्राप्ति हेतु प्रस्तावित मद में ₹0 5.50 लाख का प्राविधान किया गया है।

#### शिवलांक प्रथम

भवन तथा भूखण्डों से प्राप्त किरतों की राशि ₹0 3.20 लाख का प्राविधान किया गया है।

#### शिवलांक द्वितीय

भवनों के अवशेष मूल्य की प्राप्ति होनी शेष है। अतः इस मद में 17.50 लाख का प्राविधान किया गया है।

#### शिवलांक तृतीय

भूखण्ड /किरतों की राशि से प्राप्ति हेतु प्रस्तावित मद में प्राप्ति ₹0-19.50 लाख का प्राविधान किया गया है।

### हरिलोक योजना

हरिलोक योजना में भवन-भूखण्डों के अवशेष मूल्य को किरतो एवं प्राप्ति व शेष बची भूमि पर नये भूखण्डों/भवनों के आवंटन से प्राप्ति को ध्यान में रखकर ₹0-133.00 लाख की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है।

### हडकों व शासन से प्राप्त ऋण

भावी आवासीय योजनाओं के भूमि अधिग्रहण/भूमि विकास हेतु हडकों व शासन व अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण हेतु ₹0 600.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

### स्टाफ अग्रिम वसूली

भवन/वाहन हेतु दिये गये अग्रिम की किरतों की वसूली की मद में ₹0-1.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

### आई0डी0एस0एम0टी0योजना

आई0डी0एस0एम0टी0 योजना में ₹0-28.33 लाख की प्राप्ति का प्राविधान किया गया है।

### श्याम लोक योजना

प्रस्तावित योजना सन् 1996-97 में विज्ञापित की गयी थी। विकास कार्य आरम्भ न होने के कारण योजना में पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी थी। वर्ष 1997-98 में योजना के विकास कार्य पूर्ण कर योजना विज्ञापित कर भूखण्डों की विक्री/आवंटन से वर्ष-1997-98 में रूपये 114.00 लाख की आय का प्राविधान किया गया है।

इस प्रकार बर्दा 97-98 की बजट में राजस्व आय की मद में ₹0 344.95 लाख का प्राविधान किया गया है जो विगत बर्दा की वास्तविक प्राप्ति ₹0 133.05 लाख के विरुद्ध 256 प्रतिशत अधिक है।

पूँजीगत आय में बर्दा 97-98 की आय मद में ₹0 622.00 लाख का प्राविधान किया गया है जो विगत बर्दा की वास्तविक प्राप्ति ₹0 156.52 लाख के विरुद्ध 469.17 प्रतिशत अधिक है।

### राजस्व व्यय

#### वंतन भत्ते एवं अंशदान

प्रस्तावित बजट 1997-98 में वंतन भत्ते-दैनिक वेतन-यात्रा खिल व पेंशन तथा अवकाश अंशदान की मद में ₹0-42.80 लाख का प्राविधान किया गया है। वर्ष-96-97 में वास्तविक व्यय ₹0-30.12 लाख किये गये हैं, वंतन व भत्तों की प्रस्तावित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित बजट में ₹0-42.80 लाख का प्राविधान किया गया है।

### कार्यालय विविध व्यय

कार्यालय विविध व्ययों हेतु 97-98 के प्रस्तावित बजट में ₹0-19.15 लाख का प्राविधान किया गया है जो 96-97 के वास्तविक व्ययों ₹0-20.60 लाख से मितव्यता को ध्यान में रखकर प्रस्तावित किया गया है। इस मद में डाक व्यय, स्टेशनरी, कार्यालय मरम्मत, टेलीफोन, पुस्तकालय, कानूनी व्यय, छपाई, विज्ञान, ऑडिट फीस, मिशलेनियरा, मशीनरी मेन्टीनेन्स, कम्प्यूटर मेन्टीनेश, विजली मेन्टीनेश, आदि सम्मिलित है।

### वाहन व पेट्रोल अनुरक्षण

प्राधिकरण के पेट्रोल /मरम्मत हेतु 3.25 लाख का प्राविधान किया गया है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों व वाहनों की संख्या बढ़ने व पुराने वाहनों की मरम्मत में व्ययों को दृष्टिगत रखते हुए गत वर्ष के वास्तविक व्ययों के सापेक्ष अधिक प्राविधान किया गया है।

### कर्मचारी वाहन /भवन अग्रिम

कर्मचारियों को भवनों/वाहनों के ऋण स्वीकृति हेतु प्रस्तावित बजट में रूपये-4.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

### मास्टर प्लान सर्वे

ऋषिकेश की प्रस्तावित महायोजना के सर्वे शुल्क के भुगतान हेतु ₹0-1.5 लाख का प्राविधान किया गया है।

### विकास कार्य

प्राधिकरण क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों हेतु प्राप्त विकल्प शुल्क ₹0-40.00 लाख को व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

### पुस्तक छपाई

ऋषिकेश महायोजना की पुस्तक छपाई व अन्य योजनाओं व विकास कार्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पुस्तक छपाई के मद में रूपये 1.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

### ट्रैफिक प्लान

हरिद्वार क्षेत्र का विभिन्न ट्रैफिक जटिलताओं हेतु ट्रैफिक सर्वे प्लान जो तैयार किया जा रहा है उसके अन्तर्गत भुगतान हेतु ₹0-1.50 लाख प्रस्तावित बजट में प्राविधान किया गया है।

### अनुदान के विरुद्ध विकास कार्य

कुम्भ मेला से प्राप्त होने वाले अनुदान से प्रस्तावित विकास कार्यों में प्राप्त रूपये 155.20 लाख का प्राविधान प्रस्तावित 1997-98 के बजट में किया गया है।

## पूँजीगत व्यय

कार संयंत्र खरीद व भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित बजट में 3.50 लाख का प्राविधान किया गया है ।  
कम्प्यूटर क्रय जो प्रस्तावित कुम्भ मेला-98 प्रयोगार्थ क्रय किये जाने हैं शासन के निर्देशानुसार प्राधिकरण निधि से क्रय किया जाना प्रस्तावित है अतः बजट में ₹0 4.50 लाख का प्राविधान किया गया है ।  
फर्नीचर/फिक्चर्स क्रय हेतु बजट में 1.00 लाख का प्राविधान विगत बजट के अनुरूप किया गया है ।  
सीमेण्ट व अन्य स्ओर सामग्री क्रय हेतु प्रस्तावित योजनाओं को ध्यान में रखकर रूपये 30.00 लाख का व्यय प्रस्तावित किया गया है ।

## योजना भूमि क्रय

प्रस्तावित/भावी आवासीय योजनाओं के भूमि अधिग्रहण हेतु हडको से ऋण प्राप्त कर 400.00 लाख के व्यय वर्ष 97-98 हेतु प्रस्तावित किये गये हैं ।

## योजना निर्माण व्यय

शिवलांक प्रथम में मरम्मत व अनुरक्षण हेतु ₹0 0.75 लाख का व्यय प्राविधान किया गया है ।  
शिवलांक द्वितीय में मरम्मत अनुरक्षण/जमानत आदि क्र. वासना के लिये ₹02.00 लाख का प्राविधान किया गया है ।  
शिवलांक योजना तृतीय के अवशेष विकास कार्य हेतु बजट 97-98 के बजट में ₹0 33.00 लाख का प्राविधान किया गया है ।  
श्यामलांक योजना के भूमि विकास की मट में सडक नाली, सीवर, विद्युत, पार्क व जलापूर्ति सम्बन्धित कार्यों हेतु ₹0 75.00 लाख के व्यय का अनुमान है ।  
हरिलांक योजना के भूमि विकास के अवशेष कार्य सडक निर्माण, खडंजा निर्माण व अन्य निर्माण कार्यों हेतु ₹0 100.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित बजट में किया गया है ।  
टी0एच0डी0सी0 योजना के अवशेष अन्तिम विलो के भुगतानों हेतु प्रस्तावित बजट में ₹0 2.00 लाख का प्राविधान किया गया है । शासन व हडको से प्राप्त ऋणों की वापसी हेतु वित्तीय वर्ष 97-98 में ₹0 30.00 लाख का प्राविधान किया गया है ।  
शासन व हडको से प्राप्त ऋणों पर देय ब्याज के भुगतान हेतु ₹0 30.00 लाख का प्राविधान वित्तीय वर्ष हेतु किया गया है ।  
आई0डी0एस0एम0टी0 विकास योजना के निर्माण कार्य तथा नाला निर्माण हेतु इस वित्तीय वर्ष में ₹0 115.00 लाख का प्राविधान किया गया है ।

7  
बजट एक दृष्टि में

	94-95	95-96	96-97 प्रस्तावित	96-97 वास्तविक	97-98 प्रस्तावित
राजस्व आय	76.26	104.40	212.30	133.05	344.95
पूंजीगत आय	162.67	199.07	873.00	196.52	922.03
योग	38.93	303.47	1085.30	329.57	1266.98
राजस्व व्यय	41.38	59.57	86.70	71.46	268.40
पूंजीगत व्यय	110.65	203.81	947.20	316.81	830.25
योग-	152.03	263.38	1033.90	388.27	1098.65
शेष-	86.90	40.09	51.40	58.70	168.33

HARDWAR DEVELOPMENT AUTHORITY  
BUDGET - A BIRD'S EYE VIEW - 1997-98

SL NO.	HEAD	1994-95 ACTUAL (IN LAKHS)	1995-96 ACTUAL (IN LAKHS)	1996-97 PROPOSED (IN LAKHS)	1996-97 ACTUAL (IN LAKHS)	1997-98 PROPOSED (IN LAKHS)
<b>REVENUE INCOME</b>						
1	STAMP DUTY	0.00	0.00	20.00	4.45	25.00
2	INTREST ACCOUNT	9.23	31.77	35.00	32.65	35.00
3	MAP/SUB.DIV. FEES	1.16	1.25	1.30	1.45	1.75
4	COMPOUNDING FEES	23.16	25.93	100.00	49.07	75.00
5	BOOKS SELL	0.76	0.26	1.00	0.24	1.00
6	SUPERVISION / PAST SCHEME	13.62	7.69	1.00	0.00	0.00
7	GRANT FOR DEVELOPEMENT	0.00	0.00	16.00	2.63	155.20
8	MISC. (LIC/TEN FEE/TRANS/LEASE)	2.33	1.19	1.00	2.57	12.00
9	DEVELOPEMENT CHARGES	25.76	36.31	35.00	39.34	40.00
<b>TOTAL REVENUE INCOME</b>		<b>76.26</b>	<b>104.40</b>	<b>212.30</b>	<b>133.05</b>	<b>344.95</b>
<b>CAPITAL INCOME</b>						
1	RISHILOK YOJANA	0.00	0.00	6.00	11.07	5.50
2	SHIVLOK-1	0.00	0.00	11.00	1.47	3.20
3	SHIVLOK-2 YOJANA	28.14	10.19	20.00	12.73	17.50
4	SHIVLOK-3 YOJANA	63.73	6.46	30.00	40.47	19.50
5	HARILOK YOJANA	64.42	67.01	85.00	87.37	133.00
6	T.H.D.C. YOJANA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	LOAN FROM HUDCO & OTHERS	0.00	25.00	600.00	0.00	600.00
8	REALISATION OF INSTALMENTS {ADV TO EMPL FOR HOUSE/PLOT ETC}	0.38	2.06	1.00	0.57	1.00
9	I.D.S.M.T.	0.00	88.33	120.00	25.78	28.33
10	SHYAM LOK YOJANA	0.00	0.00	0.00	17.06	114.00
<b>TOTAL CAPITAL INCOME</b>		<b>162.67</b>	<b>199.07</b>	<b>873.00</b>	<b>196.52</b>	<b>922.03</b>
<b>GRAND TOTAL INCOME</b>		<b>238.93</b>	<b>303.47</b>	<b>1085.30</b>	<b>329.57</b>	<b>1266.98</b>

RAJASTHAN DEVELOPMENT CORPORATION  
BUDGET - A BIRD'S EYE VIEW - 1987-88

SL NO.	HEAD	1984-85 ACTUAL (IN LAKHS)	1985-86 ACTUAL (IN LAKHS)	1986-87 PROPOSED (IN LAKHS)	1986-87 ACTUAL (IN LAKHS)	1987-88 PROPOSED (IN LAKHS)
<b>REVENUE EXPENDITURE</b>						
<b>(A) ESTABLISHMENT</b>						
1	EMPLOYEES SALARY/ALLOWANCES	21.32	25.30	30.00	28.11	40.00
2	TRAVELING ALLOWANCE	1.05	0.57	1.25	1.11	1.75
3	DAILY WAGES	0.35	0.35	0.50	0.30	0.35
4	LEAVE SALARY/PENSION CONTRIBUT.	0.01	0.51	0.75	0.60	0.70
<b>TOTAL</b>		<b>22.73</b>	<b>27.06</b>	<b>32.50</b>	<b>30.12</b>	<b>42.80</b>
<b>(B) OFFICE MISC. EXPENDITURE</b>						
1	POSTAGE STAMP	0.09	0.10	0.15	0.16	0.30
2	STATIONARY	0.45	0.26	0.75	0.77	1.00
3	OFFICE BUILDING MAINTENANCE	0.39	0.41	1.00	1.04	2.00
4	TELEPHONE	2.53	1.51	3.00	1.77	5.00
5	BOOKS/LIBRARY	0.04	0.04	0.05	0.03	0.20
6	LEGAL EXPENDITURE	1.48	1.67	2.00	1.53	2.00
7	HOSPITALITY EXP.	0.23	0.10	0.30	0.27	0.50
8	PRINTING EXP.	0.25	0.06	1.00	0.67	1.00
9	ADVERTISEMENT	0.48	0.91	1.00	3.18	1.50
10	AUDIT FEES	1.00	1.24	2.00	0.89	1.25
11	MISCELLANEOUS	0.24	0.71	1.00	0.67	1.50
12	EMPLOYEES WELFARE	0.00	0.00	0.05	0.07	0.20
13	MACHINERY MAINTENANCE	0.02	0.11	0.50	0.41	0.80
14	ELECTRICITY MAINTENANCE	0.14	0.24	0.50	0.06	0.50
15	VIVEKADHEEN EXP.	0.00	0.05	0.10	0.05	0.20
16	TEMPORARY ADV.	0.00	0.00	0.00	9.01	1.00
17	COMPUTER MAINTENANCE					0.20
<b>TOTAL</b>		<b>7.32</b>	<b>7.43</b>	<b>13.40</b>	<b>20.60</b>	<b>19.15</b>
<b>(C) VEHICLE MAINTENANCE</b>						
1	MAINTENANCE	0.23	0.81	1.00	1.26	1.50
2	PETRO/DIESEL	1.20	1.41	1.75	1.27	1.75
<b>TOTAL</b>		<b>1.43</b>	<b>2.22</b>	<b>2.75</b>	<b>2.53</b>	<b>3.25</b>
<b>(D) EMPLOYEES ADVANCE</b>						
1	VEHICLE	0.23	0.48	0.50	0.55	1.00
2	HOUSE/PLOT	2.64	1.46	3.00	0.43	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>2.87</b>	<b>1.94</b>	<b>3.50</b>	<b>1.01</b>	<b>4.00</b>
(E)	MASTERPLAN SURVEY	0.00	0.00	1.00	0.00	1.50
(F)	DEVELOPMENT EXP.	7.03	13.15	33.00	14.95	40.00
(G)	BOOK PRINTING	0.00	7.77	0.00	0.00	1.00
(H)	TRAFFIC PLANNING	0.00	0.00	3.25	2.25	1.50
(I)	SEED CAPITAL/HUDCO LOAN	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
(J)	DEVELOPMENT WORKS FROM GRANT	0.00	0.00	0.00	0.00	155.20
<b>TOTAL</b>		<b>7.03</b>	<b>23.92</b>	<b>34.55</b>	<b>17.20</b>	<b>159.20</b>
<b>TOTAL REVENUE EXPENDITURE</b>		<b>41.06</b>	<b>59.67</b>	<b>66.70</b>	<b>71.46</b>	<b>269.40</b>

HARDWAR DEVELOPMENT AUTHORITY  
BUDGET - A BIRD'S EYE VIEW - 1997-98

SL NO.	HEAD	1994-95 ACTUAL (IN LAKHS)	1995-96 ACTUAL (IN LAKHS)	1996-97 PROPOSED (IN LAKHS)	1996-97 ACTUAL (IN LAKHS)	1997-98 PROPOSED (IN LAKHS)
<b>CAPITAL EXPENDITURE</b>						
A	CAR/JEEP/INSTRUMENT/HOUSE/	1.68	3.31	0.50	17.94	3.50
B	COMPUTER PURCHASE	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
C	FURNITURES/PICTURES	0.41	0.34	0.50	0.76	1.00
D	STORE(CEMENT/STEEL)	11.19	13.67	18.00	14.32	30.00
<b>TOTAL</b>		<b>13.28</b>	<b>17.52</b>	<b>18.00</b>	<b>33.02</b>	<b>39.00</b>
<b>(E) YOJANA LAND PERCHASE</b>						
1	SHIVLOK-2 & 3	19.11	8.04	0.00	1.00	0.00
2	HARILOK YOJANA	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SHYAM LOK	0.00	13.39	600.00	216.72	0.00
4	OTHERS YOJANA	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
<b>TOTAL</b>		<b>25.02</b>	<b>22.43</b>	<b>600.00</b>	<b>217.72</b>	<b>400.00</b>
<b>(F) YOJANA DEVELOPMENT/CONS.WORK</b>						
1	PAST YOJANA(RISHILOK/SHIVLOK-1)	0.00	0.00	0.20	0.00	0.75
2	SHIVLOK -2	4.82	4.55	5.00	4.70	2.00
3	SHIVLOK-3	0.03	6.51	20.00	7.25	33.00
4	SHYAM LOK YOJANA	0.00	1.14	50.00	5.75	75.00
5	HARILOK YOJANA	21.02	50.49	100.00	35.48	100.00
6	T.H.D.C.PUNRWASH YOJANA	1.07	3.58	5.00	0.76	2.00
7	REFUND FOR LOANS	24.48	82.45	13.00	2.98	30.00
8	REFUND INTREST FOR LOANS	20.82	15.14	35.00	5.81	30.00
9	I.D.S.M.T.	0.00	0.00	100.00	3.34	115.00
10	RESERCH TRANING & CONSULTANCY	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
<b>TOTAL</b>		<b>72.35</b>	<b>163.86</b>	<b>328.20</b>	<b>66.07</b>	<b>391.25</b>
<b>TOTAL CAPITAL EXPENDITURE</b>		<b>110.65</b>	<b>203.81</b>	<b>947.20</b>	<b>316.81</b>	<b>830.25</b>
<b>GRAND TOTAL EXPENDITURE</b>		<b>152.03</b>	<b>263.38</b>	<b>1,033.90</b>	<b>388.27</b>	<b>1,098.65</b>
<b>LAST BALANCE(PROFIT)</b>		<b>86.80</b>	<b>40.09</b>	<b>51.40</b>	<b>-58.70</b>	<b>168.33</b>

क्र० सं०	निर्माण की प्रकृति	अनुसूची § नियम संख्या-5 §		परिमिष्ट §
		आवासीय	व्यावसायिक	
1-	अनुमन्य भू-आच्छादन तल क्षेत्र तलानुपात के अन्तर्गत बिना अनुमति निर्माण करने पर।	§ 1 § 0.60 वर्गमीटर फ्लोर एरिया तक के भूखण्ड/भूखण्डों पर शामल शुल्क तभी प्रकृति के निर्माण के लिए न्यूनतम ₹0-1000/-	तदेव	तदेव
		§ 2 § 60-112.5 वर्गमीटर फ्लोर एरिया तक के भूखण्डों/भूखण्ड पर शामल शुल्क तभी प्रकृति के निर्माण न्यूनतम रकम, 2000/-	तदेव	तदेव
		§ 3 § उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति के निर्माण के लिए रकम 5000/-प्रत्येक 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्र या उसके भाग पर।	तदेव	तदेव
2-	अनुमन्य आच्छादन के अन्तर्गत अतिरिक्त तल क्षेत्र तलानुपात पर।	200/-प्रतिवर्ग मीटर तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र के भूमि मूल्य का 50प्रतिशत।	400/-प्रति वर्ग मीटर तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र के भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत।	300/-प्रति वर्ग मीटर तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र के भूमि मूल्य का 75प्रतिशत।
3-	अनुमन्य भू-आच्छादन से अतिरिक्त भू-आच्छादन पर।	भूमि के मूल्य का दो गुना तथा 150 रकम प्रति वर्ग मीटर तल आच्छादन पर		
	§ अ § सैटबैक के प्रतिबन्धित भाग में			
	§ क § सामुहिक आवासीय योजना में प्रत्येक दशा में			
	§ ख § अन्य भवन-			
	§ 1 § सामने सैट बैक में-	भूमि के मूल्य का 100प्रतिशत तथा 200 रकम प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भू-आच्छादन पर	भू-मूल्य का दो गुना तथा 500/-प्रतिवर्गमीटर अतिरिक्त भू-आच्छादन पर।	भूमि का डेढ़ गुना 300/-प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भू-आच्छादन पर।

१२१ पार्श्व सेट बैक में-

१३१ पीछे के सेट बैक में-

१४१ सेट बैक के प्रतिबन्धित भाग के अतिरिक्त।

१५१ अनुमन्य लीमा से अतिरिक्त बेसमेंट के निर्माण पर।

5११ यदि कमरे की आन्तरिक ऊँचाई विहित ऊँचाई से 10 प्रतिशत तक कम है तो कमरे की ऊँचाई विहित ऊँचाई से 10 प्रतिशत से अधिक कम हो।

6११ यदि कमरे की चौड़ाई विहित चौड़ाई से 10 प्रतिशत तक कम हो तो कमरे की चौड़ाई विहित चौड़ाई से 10 प्रतिशत से अधिक कम हो।

7११ यदि कमरे का क्षेत्रफल विहित क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत तक कम हो

तो यदि कमरे का क्षेत्रफल विहित क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत से अधिक कम हो।

भूमि मूल्य का 75% तथा 200/- रुपये प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भू-आच्छादन पर।  
भूमि के मूल्य का 50% तथा 200/- प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भू-आच्छादन पर।  
भूमि मूल्य का 50% तथा 200/- प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भू-आच्छादन पर।

क्षेत्रफल का 400/- प्रति वर्ग मीटर तथा भूमि के मूल्य का 50 प्रतिशत।

कमरे के क्षेत्रफल पर 20/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से।  
कमरे के क्षेत्रफल पर 100/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से।  
कमरे के क्षेत्रफल पर 150/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से।  
कमरे के क्षेत्रफल पर रुपये 100/- प्रति वर्ग मीटर की दर से।

कमरे के क्षेत्रफल पर रुपये 50/- प्रति वर्ग मीटर की दर से।  
कमरे के क्षेत्रफल पर रुपये 100/- प्रति वर्ग मीटर की दर से।

भूमि मूल्य का 150% तथा 400/- प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भू-आच्छादन पर।

भूमि मूल्य का 100% तथा 400/- प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भू-आच्छादन पर।

भूमि मूल्य का 100% तथा 400/- प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भू-आच्छादन पर।

क्षेत्रफल का 800/- प्रति मीटर तथा भूमि के मूल्य का 100 प्रतिशत।

कमरे के क्षेत्रफल पर रुपये 100/- प्रति वर्ग मीटर की दर से।  
कमरे के क्षेत्रफल पर रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से।  
कमरे के क्षेत्रफल पर रुपये 100/- प्रति वर्ग मीटर की दर से।  
कमरे के क्षेत्रफल पर रुपये 200/- प्रति वर्ग मीटर की दर से।

कमरे के क्षेत्रफल पर रुपये 100/- प्रति वर्ग मीटर की दर से।  
कमरे के क्षेत्रफल पर रुपये 200/- प्रति वर्ग मीटर की दर से।

भूमि मूल्य का 112% तथा 300/- प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भू-आच्छादन पर।

भूमि मूल्य का 75% तथा 300/- प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भू-आच्छादन पर।

भूमि मूल्य का 75% तथा 300/- प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भू-आच्छादन पर।

क्षेत्रफल का 600/- रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत।

कमरे के क्षेत्रफल पर 75/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से।  
कमरे के क्षेत्रफल पर 150/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से।  
कमरे के क्षेत्रफल पर रुपये 75/- प्रति वर्ग मीटर की दर से।  
कमरे के क्षेत्रफल पर रुपये 150/- प्रति वर्ग मीटर की दर से।

कमरे के क्षेत्रफल पर रुपये 75/- प्रति वर्ग मीटर की दर से।  
कमरे के क्षेत्रफल पर रुपये 150/- प्रति वर्ग मीटर की दर से।

8 कू यदि कमरे के प्रकार तथा संवातन की व्यवस्था विहित क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत तक कम हो।	कमरे के क्षेत्रफल पर स्याया 50/- प्रति वर्ग मीटर की दर से।	कमरे के क्षेत्रफल पर स्याया 100/- प्रति वर्ग मीटर की दर से।	कमरे के क्षेत्रफल पर स्याया 75/- प्रति वर्ग मीटर की दर से।
9 कू यदि कमरे के पूरुष तथा संवातन की व्यवस्था विहित क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत से अधिक कम हो।	कमरे के क्षेत्रफल पर स्याया 100/- प्रति वर्ग मीटर की दर से।	कमरे के क्षेत्रफल पर स्याया 200/- प्रति वर्ग मीटर की दर से।	कमरे के क्षेत्रफल पर स्याया 150/- प्रति वर्ग मीटर की दर से।
9-2 बिना स्वीकृत किया गया भू-विभाजन विकास कार्य।	भूमि मूल्य का एक प्रतिशत।	भू-मूल्य का दो प्रतिशत।	भू-मूल्य का 1.50 प्रतिशत।
10- भू-विभाजन जिसकी स्वीकृति नियमानुसार अनुमत्य न हो।	ऐसे भू-विभाजन जिसकी स्वीकृति उसके प्राधिकरण अपने स्तर से दर स्थिति अनुसार निर्धारित कर सकेंगे।	नियमानुसार नहीं दी जा सकती है, ऐसे मामलों में जो उक्त क्रॉक-9 में निर्दिष्ट के दुगने से उच्च होंगी।	

नोट-11

उक्त प्रकृति के निर्माणों के अलावा अन्य अनाधिकृत निर्माण जो उपविधि अथवा निर्देश के विपरीत हो अथवा जिसकी स्वीकृति न दी गयी हो परन्तु शमनीय हो, एक सौ पचास रुपये 150/- प्रति वर्ग मीटर तक आच्छादन की दर से लिया जायेगा। व्यावसायिक इतकी दुगनी दरें ली जा सकेंगी तथा कार्यालय में 1.5 गुना दरें ली जा सकेंगी।

12 कू क्रॉक 3 कू के अन्तर्गत यदि निर्माण अनुमत्य भू-आच्छादन के अन्तर्गत है किन्तु सैट बैक प्रमाणित करता है, तो शमन हेतु दरें घटी होंगी जो क्रम संख्या-3 कू में अंकित है।

13 कू सभी प्रकार के निर्माण के लिए अनुमत्य भू-आच्छादन के अतिरिक्त उपविधि के अनुसार भू-रक एवं अनुवर्ती तलों पर शमन हेतु लिए गये क्षेत्रफल की गणना एचओआरओ में नहीं की जायेगी किन्तु शमन शूलक उपविधि में निर्दिष्ट क्रॉक-3 में निर्धारित दरों के अनुसार लिया जायेगा।

टिप्पणी:-

- 1- अगर प्रार्थी द्वारा कोई लिखित आवेदन सुविधा प्राप्त करने हेतु नहीं किया जाता है, तब नियमानुसार धस्त की कार्यवाही की जायेगी।
- 2- जहाँ कायर विभाग से अनायति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, उसकी प्राप्ति के पश्चात ही शमन करने की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।
- 3- भूमि के मूल्य का अंकीय जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सेक्टर रेट पर किया जायेगा जहाँ पर रेट उपलब्ध नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण त्वं निर्धारित करेगा। भूमि यदि भू-उपयोग के आधार पर अलग-अलग निर्धारित हो, नियम-5 के अन्तर्गत अनुसूची में आवासीय दरें ली जायेगी।
- 4- सरकारी भूमि सड़के के विस्तार हेतु आरक्षित भूमि तथा भू-उपयोग के विस्तार किसी भी प्रकार के निर्माण का शमन नहीं किया जायेगा।
- 5- पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल उपलब्ध न होने पर पार्किंग हेतु निर्धारित क्षेत्रफल की भूमि के मूल्य का दो गुना प्रार्थी द्वारा देय होगा।
- 6- विाधा एवं स्वास्थ्य संस्थाओं एवं दमस्त संस्थाओं हेतु शमन शुल्क आवासीय दर का 50 प्रतिशत होगा।
- 7- व्यवसायिक भवनों हेतु शमन शुल्क की दरों का उल्लेख न हो, आवासीय दरों की दो गुनी होगी तथा कार्यालय भवनों हेतु आवासीय की डेट गुनी एवं अन्य उपयोगी भवनों हेतु आवासीय दर के अनुसार होगी।
- 8- शमन विभाग के धस्त करण हेतु शपथ पत्र के अनुरात यानि अनाधिकृत निर्माण पथ द्वारा धस्त नहीं किया जाता है। धस्त प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी/प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेक्टर दर का 17 प्रतिशत हर्जाना शुल्क वसूल किया जा सकता है तथा निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राधिकरण धस्त करण की कार्यवाही करके पथ से धस्त करण का व्यय कूल करेगा।
- 9- शमन हेतु दाखिल किए गये सभी प्रकृति के निम्नलिखित के लिए धन पर 30% नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-26 व 27 के अन्तर्गत नोटिस दी गयी हो अथवा कोई भी सेवा प्रमाण पत्र तथम अधिकारी उचित समझे उन पर तत्तनय निर्धारित रकम/आरं शमन हेतु लागू होंगे।
- 10- अनुसूची में अंकित दरों में शमन शुल्क की गणना करते समय भूमि मूल्य एक बार ही लिया जायेगा न कि प्रत्येक अनुवर्ती लो पर।

EO/—

अखण्ड प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव